

२५/०५/२०२२ पञ्जावली का प्रारंभ है / पञ्जावली के  
 वादी आधिवक्ता को साक्ष्यवादी करने  
 हेतु अर्ज प्रस्तुत किया गया परन्तु  
 प्रेषण नहीं किया गया वादी व प्रतिवादी पक्ष  
 आधिवक्ता के समक्ष उपस्थित नहीं  
 आया। अतः सभ्य को वादी व उभयपक्षी  
 गत आधिवक्ता को तीन-तीन बार  
 आवाज लगाई गई परन्तु उपस्थित  
 नहीं पञ्जावली का प्रारंभ हुआ आदेश पत्रिका  
 में प्रकाशित की जाती है पञ्जावली  
 के समक्ष अर्ज प्रस्तुत किया गया है

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
 लखी